का पत्र है। [signature]

12.09.25

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रा० पत्र पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थीगण का मूल वाद नोटप्रेस के आधार पर खारिज किया जा चुका है। अतः यह प्रा० पत्र औचित्यहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature]

(सुनील कुमार चौहान)
RAJ